



# लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी०एन०रोड, लखनऊ-226001 (उ०प्र०)

ई-मेल [nnlko@up.nic.in](mailto:nnlko@up.nic.in)

ई-निविदा सू०सं०: 40/मु.आ.वि.०/2026-27

दिनांक: 19.05.2026

ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा सूचना

ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा दिनांक 19.05.2026 को 01 कार्य हेतु ई-निविदायेँ, ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं, पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर निविदा के साथ जमानत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि आर०टी०जी०एस/एन०ई०एफ०टी०/इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल <https://induscollect.indusind.bank.in/pay/> पर लागिन करके जमा किया जायेगा। ई-निविदा दिनांक 19.05.2026 को अपराह्न 15.00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल पर प्राप्त की जायेगी जिन्हे दिनांक 19.05.2026 को 16.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी ई-निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। अन्य समस्त विवरण/नियम/शर्तें यथा कार्य का नाम, आगणन धनराशि, निविदा प्रपत्र की धनराशि एवं जमानत धनराशि तथा निविदा प्रपत्र पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

मुख्य अभियन्ता  
लखनऊ नगर निगम

## प्रकाशन हेतु नहीं हैं:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि(लाख में)	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18 प्रतिशत जी०एस०टी०	कुल निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वोदय नगर (ग्राम बस्तौली) में स्थित नगर निगम की भूमि पर केन्द्रीय कार्यशाला का नवनिर्माण कार्य।	13,34,10,000.00	6870500.00	18 माह	35000.00	6300.00	41300.00

- शर्तें निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- शासनादेश सं०-6738/23-7-06-176(सा०)/06 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रु० 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि और उसके ऊपर समस्त अवशेष धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी। 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति कम दर पर सिक्वोरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्वोरिटी ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिंग/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी।
- शासनादेश संख्या-962/नौ-9-2017/81ज/17 दिनांक 17.10.2017 के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान फर्म द्वारा वास्तविक वाउचर प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- कॉलम सं०-4 एवं 8 में अंकित धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि ऑनलाइन इण्टरनेट बैंकिंग/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से पोर्टल <https://induscollect.indusind.bank.in/pay/> पर जमा करनी होगी। उक्त बेवसाइट के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य "Tender Fee" मद में तथा जमानत धनराशि "Security Deposit" मद में जमा करनी होगी एवं जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप इत्यादि टकनिकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ऑनलाइन अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा अवैध मानी जायेगी। अन्य किसी माध्यम से धनराशि स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
- आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा०/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- कार्य समय से पूर्ण न होने पर अर्थ दण्ड लगाया जायेगा एवं जमानत धनराशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
- कार्य हेतु नियमानुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
- शासनादेश संख्या-टी०सी०/314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 के कम में उपरोक्त निविदायेँ ULB T-1, ULB T-2, ULB T-3 के माध्यम से जाली जायेगी।
- 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्वोरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
- किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लॉटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।
- 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ-पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचाट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत पर निर्णय लिया जायेगा।
- निविदादाता को RCC FRAMED STRUCTURE से भवन निर्माण का अनुभव होना अनिवार्य है।
- उक्त कार्य की निविदा द्विलिफाफा पद्धति पर जाली जायेगी।

## प्रतिलिपि:-

- नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
- अपर नगर आयुक्त को सूचनार्थ।
- अधिशायी अभियन्ता-4 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी अधिकारी प्रचार को विज्ञापन हेतु।
- ई-निविदा सेल का आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- केयर टेकर।
- नोटिस बोर्ड।

मुख्य अभियन्ता  
लखनऊ नगर निगम